क्रमांक 15011/36/2022-जेयूएस(एयू)/ई6889
भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय: **न्याय विभाग से संबंधित अगस्त, 2024 माह का मासिक सार।**

न्याय विभाग की अगस्त, 2024 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित है :

1. **<u>ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना:</u>**

क. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी): जुलाई, 2024 के दौरान 16 लाख से अधिक मामलों के संबंध में जानकारी और कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 5 लाख से अधिक आदेश/निर्णय एनजेडीजी पोर्टल में जोड़े गए थे।

ख. **वर्चुअल कोर्ट**: जुलाई 2024 के दौरान, 28 वर्चुअल कोर्टों द्वारा 21,27,125 मामलों को निपटाया गया है, और 1,68,343 मामलों में, 16.64 करोड़ रुपये के ऑनलाइन जुर्माने की वसूली की गई है।

ग. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** जुलाई, 2024 के दौरान,वीसी मोड का उपयोग करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 3,46,166 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 95,894 मामलों (कुल 4.42 लाख मामलों) की सुनवाई की।

घ. **न्यायाधीशों के लिए JustIS ऐप डाउनलोड**: जुलाई 2024 माह में JustIS मोबाइल ऐप में 119 अतिरिक्त डाउनलोड देखे गए हैं।

ङ. **ई-सेवा केंद्र:** जुलाई, 2024 माह में 16 नए ई-सेवा केंद्रों का निर्माण किया गया है।

च. **ई-कोर्ट सेवाएं मोबाइल ऐप डाउनलोड**: जुलाई, 2024 माह में ई-कोर्ट सेवाएं मोबाइल ऐप में 6 लाख अतिरिक्त डाउनलोड देखे गए हैं।

2. **<u>न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना:</u>**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसमें से दिनांक 31.08.2024 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 444.76 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, अगस्त, 2024 के माह के दौरान इस योजना के तहत 56.16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

3. **<u>टेली-लॉ: वंचित लोगों तक पहुचना</u>**:

क. **कानूनी सलाह:** 31 अगस्त, 2024 तक 96,89,281 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई थी। जिसमें अगस्त, 2024 माह में दी गई कानूनी सलाह के 3,69,663 लाभार्थी भी शामिल हैं।

ख. **जागरूकता सत्र**: अगस्त, 2024 माह में ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), न्याय सहायकों, राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 76 जिलों में कुल 107 जागरूकता सत्र एवं शिविर आयोजित किए गए जिनमें 2,264 नागरिकों ने भाग लिया।

ग. **क्षेत्रीय कार्यकर्ताओ का प्रशिक्षण**: अगस्त 2024 माह में 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 169 जिलों में कुल 116 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए , जहां 5,335 वयक्तियों ने भाग लिया।

4. **<u>न्याय बंधु (प्रो-बोनो कानूनी सेवाएं) कार्यक्रम:</u>**

न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से 103 नए प्रो बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत किया गया। अब तक, 11,330 (पुरुष-9,487, महिला-1,841, ट्रांसजेंडर- 02) प्रो बोनो अधिवक्ताओं को न्याय बंधु पोर्टल के तहत शामिल किया गया है।

5. **<u>लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लबों द्वारा संचालित गतिविधियां/कार्यक्रम</u>**:

क. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपुर के प्रो बोनो क्लब ने गुमगांव, बुटीबोरी, नागपुर में मधुबन आश्रम शाला में कानूनी साक्षरता और समुदाय सेवा शिविर आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 85 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ख. बिरला स्कूल ऑफ लॉ, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर के प्रो बोनो क्लब ने अपने गोद लिए ओडिशा के मालीपाड़ा और गोथापटना गांवों में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और स्वतंत्रता समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों की पहुंचे।

ग. एसओएल, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद के प्रो बोनो क्लब ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के समय एक वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संवैधानिक ढांचे के भीतर मौलिक कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता के विषय पर आलोचनात्मक सोच, स्पष्ट तर्क और सूचित प्रवचन को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

घ. महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एमएआईएमएस), दिल्ली के प्रो बोनो क्लब ने दिल्ली के तत्तेसर और पंजाब खोर गांव में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना आदि जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में कानूनी जागरूकता फैलाना था । इस कार्यक्रम में 30 प्रतिभागी पहुंचे।

ड. पीजी विधि विभाग, बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर, ओडिशा के प्रो बोनो क्लब ने बरहामपुर विश्वविद्यालय के ब्लू-कॉलर श्रमिकों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों के लिए टेली-लॉ ऐप और प्रो बोनो कानूनी सेवाओं पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 30 प्रतिभागी पहुंचे थे।

च. विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर के विधि संकाय के प्रो बोनो क्लब ने एक पैनल का आयोजन किया एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के सामने आने वाली कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए "एलजीबीटीक्यू+ के लिए बाधाओं को तोड़ना" शीर्षक पर पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस आयोजन में 100 प्रतिभागियों की भागीदारी थी।

छ. राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रो बोनो क्लब ने विश्वविद्यालय में "एंटी रैगिंग" पर एक नुक्कड़ नाटक/स्ट्रीट प्ले का आयोजन किया। कार्यक्रम में 100 प्रतिभागी पहुंचे।

ज. श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज, पुणे के प्रो बोनो क्लब ने उरुली कंचन, पुणे में एक कानूनी सहायता शिविर का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सरकार के विभिन्न कानूनों, पहलों के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में 30 छात्रों ने भाग लिया।

झ. जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, भोपाल के विधि संकाय के प्रो बोनो क्लब ने समाज के वंचित वर्गों के लिए एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें प्रतिभागियों को महिला सुरक्षा और अधिकारों के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम में 100 प्रतिभागी पहुंचे।

ञ. एमिटी यूनिवर्सिटी, जबलपुर (म.प्र.) के प्रो बोनो क्लब ने "भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका: परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक।" नामक एक वार्ता शो का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र पर एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों को हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली से संबंधित विचारोत्तेजक प्रश्नों में शामिल किया गया। कार्यक्रम में 300 प्रतिभागियों की पहुंच थी।

ट. लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रो बोनो क्लब ने एल एल बी (ऑनर्स) प्रथम वर्ष के लिए एक रैगिंग विरोधी अभियान आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को रैगिंग की गंभीरता, इसके कानूनी निहितार्थ और इसे रोकने के उपायों के बारे में शिक्षित करना था। कार्यक्रम में 80 प्रतिभागी पहुंचे थे।

6. **<u>कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी):</u>**

क. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु, कर्नाटक ने प्रो. वी.एस. मल्लार मेमोरियल कानूनी सहायता प्रतियोगिता 2024 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया। इस आयोजन में प्रतिभागियों के रूप में 55 टीमें शामिल थीं। इसके अलावा, उन्होंने स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, सीएमआर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के सहयोग से एक कानूनी सहायता वकील कार्यशाला भी आयोजित की। कार्यक्रम में 181 प्रतिभागियों की पहुंच थी। इसके अलावा उन्होंने 409 सोशल मीडिया पोस्ट/यूट्यूब सामग्री विकसित की, जिसकी पहुंच 52,909 थी।

ख. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र ने 29 अगस्त, 2024 को बाल अधिकार और सुरक्षा पर एक वेबिनार का आयोजन किया । कार्यक्रम में 451 प्रतिभागी पहुंचे थे।

ग. अब्दुल नज़ीर साब ग्रामीण विकास राज्य संस्थान, मैसूरु ने जिला, तालुक और ग्राम पंचायत स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 825 प्रतिभागियों (वास्तविक और वर्चुअल) ने हिस्सा लिया।

घ. डॉ. अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज (एजीएलसी), पुडुचेरी ने सरकारी स्कूलों में आठ कानूनी जागरूकता सत्रों का आयोजन किया और डॉ. अंबेडकर सरकारी लॉ कॉलेज पुडुचेरी में दो प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। सामाजिक-कानूनी विषयों पर 8 पोस्टर विकसित और वितरित किए गए। कार्यक्रम में 2656 प्रतिभागियों की पहुंच थी।

ङ. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने ''30 अगस्त, 2024 को अपने ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पर "बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार" विषय पर एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन कराया । इस सत्र में 157 दर्शकों ने भाग लिया।

च. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान ने किशनगंज, अररिया मधेपुरा मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद जिलों में अपनी परियोजना शीर्षक "विधि मित्र के माध्यम से 700 ग्राम पंचायतों का कानूनी सशक्तिकरण" के तहत जागरूकता सत्रों का आयोजन किया। सत्र में 224 प्रतिभागियों ने उपस्थिति दर्ज की।

छ. दूरदर्शन ने न्याय विभाग के सहयोग से दिशा योजना के तहत विभिन्न कानूनी जागरूकता मुद्दों को हल करने के लिए 56 टीवी कार्यक्रम विकसित किए हैं ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। अगस्त 2024 तक, उप-विषय "विधि जागृति अभियान" के तहत 11 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनलों पर 54 एपिसोड प्रसारित किए गए हैं, जो चल रहे अखिल भारतीय "हमारा संविधान हमारा सम्मान" अभियान का हिस्सा है, जो 19.32 लाख दर्शकों तक पहुंच गया है।

7. **<u>राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा):</u>** दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सर्वोदय विद्यालय, जौंती गांव में दिल्ली के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के लिए राज्य सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष,नालसा द्वारा की गई। यह सम्मेलन दूरदराज और अविकसित क्षेत्रों में विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहुंच बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में पहली बार आयोजित किया गया था। इसके अलावा,उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से, प्रोजेक्ट **"गूंज: क़ानूनी सहायता के नए आयाम"** के तहत एक विशाल कानूनी एवं अन्य सेवा शिविर भी आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य कानूनी सशक्तीकरण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जागरूकता पर केंद्रित व्यापक रणनीति के माध्यम से दिल्ली के दूरदराज और अविकसित गांवों की पहचान करना, उनको कार्य देना और उनका उत्थान करना था।

****